

ANNEXURE II

Present Value of each office building in Capital

| Sl. No. | Name of the Building | Present value excluding cost of land |
|---------|--|--------------------------------------|
| क्र०सं० | भवन का नाम | भूमि की लागत बगैर वर्तमान मूल्य |
| | | Rs. |
| 1. | Transport Bhawan ट्रांसपोर्ट भवन | 76,15,250 |
| 2. | Vayu Bhawan वायु भवन | 90,22,162 |
| 3. | Udyog Bhawan उद्योग भवन | 2,39,53,901 |
| 4. | Nirman Bhawan (Phase I & II) निर्माण भवन (चरण I व II) | 4,06,27,221 |
| 5. | Vigyan Bhawan विज्ञान भवन | 1,01,28,608 |
| | Vigyan Bhawan (Annexe) विज्ञान भवन (उपभवन) | 47,39,076 |
| 6. | Krishi Bhawan कृषि भवन | 2,24,89,288 |
| 7. | Yojana Bhawan योजना भवन | 1,10,63,269 |
| 8. | Akashwani Bhawan आकाशवाणी भवन | 81,55,854 |

ANNEXURE III

Maintenance and Repair Expenditure

| Sl. No. | Name of the Building | 1968-69 Rs. | 1969-70 Rs. | 1970-71 Rs. |
|---------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| क्र०सं० | भवन का नाम | रुपये | रुपये | रुपये |
| 1. | Krishi Bhawan कृषि भवन | 2,23,350 | 2,41,100 | 2,65,283 |
| 2. | Udyog Bhawan उद्योग भवन | 1,83,499 | 2,43,334 | 2,74,129 |

| Sl. No. | Name of the Building | 1968-69 Rs. | 1969-70 Rs. | 1900-71 Rs. |
|---------|---|-------------|-------------|-------------|
| क्र०सं० | भवन का नाम | रुपये | रुपये | रुपये |
| 3. | Nirman Bhawan (Phase I & II) निर्माण भवन (चरण I, II) | 2,82,690 | 3,85,270 | 4,73,389 |
| 4. | Transport Bhawan ट्रांसपोर्ट भवन | 89,851 | 95,215 | 1,00,766 |
| 5. | Yojana Bhawan योजना भवन | 1,63,693 | 1,30,182 | 1,57,682 |
| 6. | Akashwani Bhawan आकाशवाणी भवन | 97,830 | 1,53,056 | 1,64,086 |
| 7. | Vayu Bhawan वायु भवन | 1,57,681 | 1,57,697 | 1,89,206 |
| 8. | Vigyan Bhawan (Annexe) विज्ञान भवन विज्ञान भवन (उपभवन) | 3,61,593 | 2,80,398 | 3,19,881 |

दिल्ली दुग्ध योजना के मक्खन में मिलावट

193. श्री मान सिंह वर्मा: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने हाल में दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा निर्मित मक्खन में मिलावट का पता चलने के तथ्य की ओर दिल्ली दुग्ध योजना के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त मजिस्ट्रेट ने दिल्ली दुग्ध योजना पर खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम के प्रावधानों पर अमल न करने का आरोप लगाया है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर 'हाँ' हों तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

†[ADULTERATION IN D.M.S. BUTTER

193. SHRI MAN SINGH VARMA : Will the Minister of AGRICULTURE / कृषि मंत्री be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the judicial magistrate of Delhi has recently drawn the attention of the authorities of the Delhi Milk Scheme to the fact that the butter manufactured under the scheme has been found to be adulterated ;

(b) whether it is also a fact that the said Magistrate has alleged that the Delhi Milk Scheme is not acting on the provisions of the Prevention of Food Adulteration Act; and

(c) if the answers to parts (a) and (b) above be in the affirmative what action has been taken by Government in this regard ?]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) न्यायिक मजिस्ट्रेट, दिल्ली ने 13-9-1971 को दिये गये अपने निर्णय में यह नहीं बताया था कि मिलावटी पाया जाने वाला मक्खन वस्तुतः दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा बनाया गया था। फिर भी, उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ अधिकारियों का ध्यान इन तथ्य की ओर अवश्य आकषित किया था कि दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा जिस विधि से अपना मक्खन बेचा जा रहा था, उसमें मिलावट करने की पर्याप्त संभावना रहती है

(ख) जी हां। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने यह भी अनुभव किया कि दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के उपबन्धों का पालन खाद्य उत्पादनों के विनिर्माताओं द्वारा समाश्वासन जारी करने के सम्बन्ध में नहीं किया गया था।

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा अपने अधिकृत व्यापारियों को सप्लाई किये जाने वाले मक्खन के सम्बन्ध में समाश्वासन लिखात रूप से दिया जाता है। किन्तु ये समाश्वासन अभी तक सुपर

बाजार को सप्लाई किये जाने वाले मक्खन के सम्बन्ध में रिकार्ड नहीं किये जाते थे। इस त्रुटि को दूर कर दिया गया है और अब दिल्ली दुग्ध योजना सुपर बाजार को सप्लाई किये जाने वाले मक्खन के सम्बन्ध में भी ऐसे समाश्वासन दे रही है।

†[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE / कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (PROF. SHER SINGH): (a) In his judgement dated 13-9-1971 the Judicial Magistrate, Delhi did not state that the butter which was found adulterated was actually manufactured by Delhi Milk Scheme. He, however, drew the attention of the authorities concerned, *inter alia*, to the fact that the system under which the butter manufactured by Delhi Milk Scheme was sold, encouraged the adulteration of this article.

(b) Yes. The Judicial Magistrate observed that the provisions of the Prevention of Food Adulteration Act in relation to the issue of warrantees by manufacturers of food production was not observed by Delhi Milk Scheme.

(c) Delhi Milk Scheme is giving warrantees in writing in respect of butter supplied to its authorised dealers. These warrantees were, however, not recorded hitherto in case of supplies of butter made to Super Bazar. This deficiency has, been rectified and Delhi Milk Scheme are now giving such warrantees in relation to the supplies of butter made to Super Bazar also.]

दिल्ली दुग्ध योजना का दूध

194. श्री मान सिंह वर्मा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 सितम्बर, 1971 के 'मदरलैण्ड' में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली दुग्ध योजना में सब दूध ही दूध नहीं है; और